

## LOK SABHA DEBATES

I

LOK SABHA

Thursday, August 21, 1969 | Sravana  
30, 1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER: We shall now  
take up questions. Shri Prem Chand  
Verma.

SHRI S. M. BANERJEE: Are we  
beginning the Question Hour before  
the obituary reference? The 'Syndi-  
cate' is dead.

श्री शिव चन्द्र झा : गिरि जिन्दाबाद ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सिन्डीकेट  
मुर्दाबाद ।

अध्यक्ष महोदय : यह बाहर जाकर  
करिये, हाउस में नहीं ।

SHRI UMANATH: I shall now  
revive Shri D. N. Patodia's demand  
that the President must take charge  
immediately. Why should my hon.  
friend not repeat that demand now?  
(Interruptions).

MR. SPEAKER: Let not hon. Mem-  
bers provoke each other.

SHRI S. M. BANERJEE: Where is  
the ring master of the 'Syndicate',  
Shri S. K. Patil? Only the band-  
master Shri Sheo Narain is sitting  
here.

SHRI J. M. BISWAS: The ring-  
leader of the 'Syndicate' must resign  
immediately. (Interruptions).

1937 (Ai) LS—2.

2

SHRI SHEO NARAIN: This is not  
the way that Members should behave  
in this Parliament. Sir, you may  
please control the Members.

SHRI JYOTIRMOY BASU: The  
table has been turned.

SHRI J. M. BISWAS: The table has  
turned.

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय,  
यह क्या भाषण इस्तेमाल कर रहे हैं ।

### Import Licences for Newsprint

\*661. SHRI PREM CHAND VER-  
MA: Will the Minister of INFORMA-  
TION AND BROADCASTING AND  
COMMUNICATIONS be pleased to  
state:

(a) whether it has come to the  
notice of Government that import  
licences are issued by the Chief Con-  
troller of Imports and exports based  
on the recommendations of the Re-  
gistrar of Newspapers for India who  
is the recommending authority for  
the newsprint and machinery accord-  
ing to the requirements of the news-  
papers;

(b) whether it has also come to  
the notice that this Department of  
Ministry of Foreign Trade and Sup-  
ply takes a long time to issue the im-  
port licences resulting in inconveni-  
ence and difficulties;

(c) if so, whether a Licence Cell  
will be opened in the Office of the  
Registrar of Newspapers for India for  
expediting the work; and

(d) if so, when a decision is likely  
to be taken and if not, the reasons  
therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) (i) Licences for import of printing equipment are issued by the Chief Controller of Imports and Exports on the recommendations of the Inter-Departmental Committee on Licensing. The essentiality for printing equipment required by a newspaper establishment is examined by the Registrar of Newspapers for India, on the basis of information made available to him.

(ii) Licences for import of newsprint are issued by the Chief Controller of Imports and Exports on the basis of the authorizations issued by the Registrar of Newspapers in accordance with the Newsprint Allocation Policy in force.

(b) Import licences for newsprint are issued by C.C.I. & E. generally within two weeks from the date of receipt of recommendation of the Registrar of Newspapers for India. Applications for printing machinery from newspaper establishments, however, take longer as issue of such licences depends on indigenous non-availability and foreign exchange allocations. The applications are considered by an Inter-Departmental Committee which also consider applications for printing machinery from non-newspaper establishments.

(c) and (d). In view of the position stated in reply to part (b), there is no need for a change in the existing licensing system.

श्री प्रेमचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस में एक महत्वपूर्ण बात को छोड़ गये हैं। सब से बड़ी चीज यह है कि जो छोटे अखबार हैं उन को जो रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर रिकमन्डेशन करता है उस रिकमन्डेशन के बारे में कहा गया है कि दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर लाइसेंस उन को दे देते हैं। लेकिन

अखबारों की संस्थाओं के पास इस प्रकार की सैकड़ों शिकायतें मौजूद हैं कि रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर जो सिफारिश भेजता है उस पर दो-दो महीने तक को लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं, छोटे अखबारों को दो, तीन हजार रु० के अखबारी कागज का लाइसेंस मुश्किल से मिलता है, तीन-तीन, महीने चक्कर लगाना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहले सिस्टम था कि मिनिस्ट्री आफ इनफ़ोरमेशन और ब्राडकास्टिंग में सैक्शन अफसर लाइसेंस जारी करता था रिकमन्डेशन के आधार पर तो सरकार को इस बारे में क्या परेशानी है? अगर परेशानी नहीं है, तो हजारों छोटे अखबारों के लिये यह तबदीली लाकर मशकूर करेगे?

SHRI I. K. GUJRAL: I have already mentioned the details of the procedure according to which licences are issued. If any specific complaints are brought to our notice that the system is not working satisfactorily I shall be glad to look into it.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सच है कि 1967-68 में 1, 17, 972 मीट्रिक टन के लाइसेंस इश्यू किये गये हैं जिस में से 92,099 टन कागज जिस की कीमत 10 करोड़ रु० है, इतने के लाइसेंस सिर्फ 10 अखबारों को जारी किये गये, यानी एक, एक करोड़ रु० के लाइसेंस दिये गये हैं जब कि 11,000 न्यूज पेपर्स सारे भारत वर्ष में हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि केवल एक अखबार को—एक्सप्रेस न्यूजपेपर—को 20, 572 टन कागज दिया गया है, जब कि 11,000 छोटे अखबारों को कागज नहीं दिया गया है। अगर सरकार की यह नीति है, जैसा कि वह कहते हैं, कि छोटे पेपर के लिये मशीनरी और कागज की सुविधा सरकार देगी, तो उस नीति पर पूरी तरह से वह अमल क्यों नहीं कर रही है? उस में क्या बाधा है? जहाँ एक और हजार

का फर्क है, एक अखबार को जितना कागज दिया जाता है उतना एक हजार अखबारों को नहीं दिया जाता है। तो सरकार की नीति इस बारे में क्या है ?

**SHRI I. K. GUJRAL:** My hon. friend might understand that the policy of Government, so far as news print is concerned, is not equal distribution but equitable distribution. If some bigger newspaper has a bigger consumption, naturally, we have to give it more. But I can say with confidence—I hope my hon. friend appreciates it—that the Government's policy is very much biased in favour of small and medium newspapers, and we are trying our best to give assistance to them to grow.

**SHRI ANANTRAO PATIL:** This question of newsprint is very vital and important as far as small and medium-sized newspapers are concerned. We have to deal with different Ministries. The recommendation for licence is made by the Registrar of Newspapers and the licences are issued by the Chief Controller of Imports and Exports. Let me quote just one instance of my own case. The import policy was declared in April-May, and the recommendation of the Registrar of Newspapers for the various newspapers was made in May or June. Still, we have not received our import licences. In view of this, it is very difficult to carry on the newspaper publishing business, particularly in the case of the small newspapers located in the mofussil areas.

As far as printing machinery is concerned, we have to go from the Finance Ministry to the Commerce Ministry and to the Information and Broadcasting Ministry. For the last six months, my application has been going from one Ministry to another. In view of this, may I know from the hon. Minister whether he is prepared to think of having some arrangement with the Registrar of Newspapers to remove all these difficulties as far as the small and medium newspapers are concerned?

**SHRI I. K. GUJRAL:** I am in sympathy with what my hon. friend has said. If his particular paper has been having some difficulty, I shall look into it. As I have mentioned in my reply, the applications for Printing machinery go to the Chief Controller of Imports and Exports who obtains the views of the Registrar of Newspapers, places them before the Inter-departmental committee which finalises the licences. It is difficult for us to be the final authority in this because the authority for imports remains with the Ministry of Foreign Trade and we cannot help it. But I can assure my hon. friend that if there is any difficulty in the way of the newspapers. . . .

**SHRI RANGA:** He has put a general question and that should be replied to.

**SHRI ANANTRAO PATIL:** My complaint is not against the Registrar of Newspapers. . .

**SHRI RANGA:** The question was about simplification of the procedure so as to reduce or minimise the delay.

**SHRI I. K. GUJRAL:** So far as I have been able to check up the procedure, I think it is very simple. But now that it has been brought to my notice, I will definitely look into it.

**SHRI UMANATH:** How long are Government going to continue the policy of reliance on import, even though a part, of our newsprint requirements, because processes have been found in our country by which newsprint can be made from baggase which is available in plenty here but a lot of which is going waste today? Newsprint machinery can also be produced in HEC, Ranchi, where there is a lot of idle capacity at present. Have Government any programme of achieving self-sufficiency in both these respects?

**SHRI I. K. GUJRAL:** Government are very keen that indigenous manufacture should be stepped up. Fortunately, Nepa has stepped up its capa-

city considerably and we hope in the course of new year, production will go up about 70,000 tonnes. At the moment, they have a production of about 45,000 tonnes but they are targeting for an expansion of 70,000 tonnes by next year. Some new plants are also under consideration, one in Himachal Pradesh and the other in Kerala. Some other projects are also being examined. We are very keen that as soon as possible we should become self-sufficient in news-print.

**श्री मधु लिमये :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या कल इन की सरकार ने फैसला किया है कि टाइम्स आफ इंडिया ने कांग्रेस के आन्तरिक झगड़े में जो उन की मदद को उस को लेकर शान्ति प्रसाद जैन को टाइम्स आफ इंडिया वापिस दिया जाये और नये नये लाइसेंसिंग कागज मंगवाने के लिए उन को दिये जायं ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** माननीय सदस्य कहां कि बात सोच रहे हैं ? कल कहां फैसला हुआ और किसने किया ?

**श्री मधु लिमये :** मतलब आप की सरकार ने किया। अब आप कहां फैसला करते हैं यह पता ही नहीं चलता है। जन्तरमंतर रोड पर करते हैं, श्री निर्जलिगप्पा के निवास स्थान पर करते हैं या सफदरजंग रोड पर करते हैं यह मुझे नहीं मालम है। बाकी मैं तो सरकार के ऐसे निश्चय किये जाने की बात कर रहा था।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बगैर टिप्पणी के सीधा सवाल मालूम पड़ता है पूछ ही नहीं सकते।

**एक माननीय सदस्य :** सत्य बात कहें, मंत्री महोदय का नाम श्री सत्य नारायण सिंह है।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मेरा दावा अभी तक यह रहा है कि राजनीति में मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ।

**श्री मधु लिमये :** क्या सरकार टाइम्स आफ इंडिया शान्ति प्रसाद जैन को नहीं दे रही है ?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** यह खबर ठीक नहीं है, यह गलत है ?

**श्री रवि राय :** आगे के लिए भी उन्हें नहीं देंगे ?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा वह मैं कैसे बतला सकता हूँ।

**श्री अंकार लाल बोहरा :** यह ठीक है कि कुछ समय से न्यूजप्रिंट के मामले में मंत्रालय बड़ी उदारतापूर्ण नीति का व्यवहार कर रहा है लेकिन न्यूजप्रिंट देने की घोषणा करने के साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि छोटे और मझले दर्जे के जो भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र हैं उन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह मिनिमम लाइसेंस का कागज प्राप्त कर सकें तो ऐसे छोटे और बीच के समाचारपत्रों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसी प्रणाली का विकास करेंगे जिससे कि उन को एक मिनिमम कोटा आसानी से और बिना किसी झंझट के मिल सके ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** इस के लिए दो चीजें की गई हैं। एक तो यह कि जो छोटे अखबार हैं उन को लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है और यह अगर वह चाहें तो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए न्यूजप्रिंट को यहां से ले सकते हैं। उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए हम यह तरीका सोच रहे हैं कि बड़े-बड़े शहरों में एस०टी०सी० की तरफ से इंतजाम उस के लिए रखा जाए ताकि कल-

कत्ता, बम्बई आदि के अलावा और बड़े-बड़े शहरों में भी गोदाम हों ताकि वहाँ के अखबार वालों को न्यूज़प्रिंट मिल सकें और उन्हें इसके लिए यहाँ दिल्ली में आकर न्यूज़प्रिंट का कोटा न लेना पड़े। जो अखबार जिस एरिया का हो उसे वहीं से न्यूज़प्रिंट का कोटा मिल सके।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह जितने बड़े-बड़े समाचार पत्र हैं उन्हें जितना कोटा कागज का मिलता है उसमें से वे बहुत बड़ी मात्रा ब्लैक में छोटे समाचार पत्रों को बेच देते हैं और हालत यह है कि छोटे समाचार पत्र वाले बिना ब्लैक से लिए हुए अपना अखबार नहीं चला सकते हैं तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है या सरकार इस बात की छानबीन करेगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या बहुत बड़ी मात्रा में साम्यवादी विचारधारा के समाचार पत्र जो कि देश के अन्दर छपते हैं जैसे ब्लिट्ज़ या पेट्रियाट हैं इनको जो यहाँ से अखबारी कागज का कोटा मिलता है उसको वह ब्लैक में बेच देते हैं साथ ही रूस आदि साम्यवादी देशों से बहुत सा साहित्य वहाँ के कागज पर छाप कर यहाँ लाते हैं लेकिन उसे वह यहाँ छपा हुआ करार देते हैं और उसके नाम से यहाँ पर कागज लेते हैं और फिर उसे ब्लैक में बेचते हैं? मंत्री महोदय मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें।

**श्री इ० कु० गुजराल :** हमारे नोटिस में जब भी कोई ऐसी बात आनी है कि कोई अखबार वाला ऐसा गलत काम कर रहा है तो उस के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है। इसके अलावा हमने अपनी मिनिस्ट्री में एक ऐसा विंग बनाया हुआ है जो कि अखबारों के दफ्तरों में जाकर चैकिंग करता है और यह देखता है कि उन्हें जो न्यूज़प्रिंट का कोटा दिया गया उसे उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं और किया तो कितना किया। जब कोई इस किस्म

की शिकायत हमारे नोटिस में आनी है कि किसी अखबार वाले ने मरकुलेशन बढ़ा कर हमारे यहाँ से कोटा लिया है तो उसका कोटा काट दिया जाता है और ज़रूरत समझने पर पुलिस को सौंप दिया जाता है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। रूस से बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य वहाँ के कागज पर छप कर यहाँ आता है और उसे यह साम्यवादी विचारधारा रखने वाले ब्लिट्ज़ और पेट्रियाट जैसे पत्र उसे यहाँ का छपा हुआ करार देते हैं और उस के नाम पर यहाँ कागज लेते हैं और फिर उसे ब्लैक में बेचते हैं इस बारे में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर आ जाने के बाद भी आप असन्तुष्ट रहा करते हैं। अगला प्रश्न।

**Demand by Delhi State Bank Employees' Federation for Extension of Aiyar Award Operation**

\*662. SHRI MUHAMMAD SHE-RIFF: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether a deputation of the Delhi State Bank Employees' Federation met him in connection with the extension of the Aiyar Award operation for one year; and

(b) the nature of talks he had with the deputationists and the assurance given to them?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD):** (a) It was a deputation of the All India Reserve Bank Employees Association that met Minister for Labour and Rehabilitation on the 4th April, 1969.

(b) They were asked to submit a memorandum on specific issues requiring solution. They were assured that the memorandum would be examined.